क्रम संख्या–66 पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 06 अप्रैल, 2015 ई0

चैत्र 16, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 99/XXXVI(3)/2015/14(1)/2015

देहरादून, 06 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015"**पर दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 17 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगा।

शीर्षक, दीर्घ एवं लघु शीर्षक का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2003) जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के शीर्षक, से शब्द **"अनुसूचित जनजाति"** दीर्घ शीर्षक से शब्द **"और अनुसूचित जनजातियों"** एवं लघु शीर्षक से शब्द **" तथा अनुसूचित जनजाति"** निरसित कर दिये जायंगे।

धारा 2 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) से शब्द **" तथा अनुसूचित जनजाति"** और शब्द **"एवं अनुसूचित जनजातियों"** निरसित कर दिये जायेंगे।

अध्याय–दो के शीर्षक का संशोधन 4. मूल अधिनियम के अध्याय–2 के शीर्षक में आये शब्द **"अनुसूचित जनजाति"** निरसित कर दिये जायंगे।

धारा 3 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द **" और अनुसूचित जनजाति"** निरसित कर दिये जायंगे।

धारा 4 का संशोधन 6. मूल अधिनियम की धारा 4 में –

(क) उपधारा (1) में शब्द **"/अनुसूचित जनजाति"** एवं शब्द **"अथवा अनुसूचित जनजाति"** निरसित कर दिये जायंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द **"और अनुसूचित जनजातियों"** निरसित कर दिये जायंगे।

धारा 5 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में शब्द " अनुसूचित जनजातियों" निरसित कर दिये जायंगे।

धारा 10 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द " अनुसूचित जनजातियों" निरसित कर दिये जायंगे।

धारा 11 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में –

(क) खण्ड (क) में शब्द "और अनुसूचित जनजातियों" निरसित कर दिये जायंगे।

(ख) खण्ड (ख) में शब्द "और अनुसूचित जनजातियों" निरसित कर दिये जायंगे.

(ग) खण्ड (ग) में शब्द "और अनुसूचित जनजातियों" निरसित कर दिये जायंगे।

(घ) खण्ड (ड.) में शब्द "और अनुसूचित जनजातियों" निरसित कर दिये जायंगे।

(ड.) खण्ड (च) में शब्द " अनुसूचित जनजातियों" निरसित कर दिये जायंगे।

व्यावृत्ति

10 उपरोक्त निरसन के होते हुए भी, मूल अधिनियम के अधीन की गयीं कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,

प्रमुख सचिव।